

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ

आदेशांक-वा0क0अधि0दस-3(ग)/स्था0/ 2639 /2025-26 दिनांक: 05 ,जून, 2025

आदेश

स्थानान्तरण समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 05.06.2025 पर सम्यक विचारोपरान्त राजकीय कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित करने एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत क्रम संख्या 1 से 4 तक अंकित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सम्बद्धता तात्कालिक प्रभाव से समाप्त की जाती है तथा क्रम संख्या 5 व 6 पर अंकित कर्मचारियों को तात्कालिक प्रभाव से सम्बद्ध किया जाता है:

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	श्री एम० एच० आब्दी प्र० सहा०	पीठ-2 आगरा सम्बद्ध पीठ-2 लखनऊ	पीठ-2 आगरा	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर वापस
2	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव प्र० सहा०	पीठ-2 मेरठ सम्बद्ध पीठ-2 नोएडा	पीठ-2 मेरठ	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर वापस
3	श्री विजय प्रकाश प्र० सहा०	पीठ-2 नोएडा सम्बद्ध पीठ-6 वाराणसी	पीठ-2 नोएडा	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर वापस
4	श्री कामता नाथ पाण्डेय प्र० सहा०	पीठ- अलीगढ़ सम्बद्ध पीठ-1 प्रयागराज	पीठ- अलीगढ़	सम्बद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थान पर वापस
5	श्री जय प्रकाश व० सहा०	पीठ- अलीगढ़	पीठ-1 आगरा सम्बद्ध	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत
6	श्री राहुल वर्मा व० सहा०	पीठ-5 वाराणसी	सम्बद्ध पीठ-6 वाराणसी	कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

ह० 05.06.2025

(रमेश चन्द-प्रथम)

एच०जे०एस०

अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1 व 2 आगरा/ पीठ-2 नोएडा/ पीठ-2 मेरठ/पीठ-5 व 6 वाराणसी/ पीठ-1 प्रयागराज/ पीठ- अलीगढ़/ को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित कर्मचारियों को अविलम्ब कार्यभार मुक्त करते हुए सूचना मुख्यालय प्रेषित करें।
2. सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2025-26 दिनांक 06.05.2025 के बिन्दु संख्या 11 के पैरा 8 में अंकित निर्देशों के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर कार्यमुक्ति एवं कार्य प्रभार आदि मानव सम्पदा पोर्टल से ही अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उपर्युक्त प्रक्रिया पालन करने पर ही सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरण हो सकेगा।
3. वेब अधिकारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित व्यक्ति एवं व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

आज्ञा से


05.6.2025

(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।